



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0755) 251650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/959/डी.एड.सेल/2014

भोपाल, दिनांक 3 /05/2014

प्रति,

प्राचार्य/संचालक
श्रीयुत महाविद्यालय, ग्राम पो. गंगेव,
जिला-रीवा (म.प्र.)


विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।

संदर्भ:- मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-830/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 16.04.2014
---/ /---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के अनुक्रम में आपकी संस्थान द्वारा आज दिनांक तक जवाब मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबंधिता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणोकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, रीवा द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 07.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।




सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 / 05 / 2014

पृष्ठांकन क्र./960 / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0755) 2 51650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/१५७ /डी.एड.सेल/2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३ /०५/२०१४

प्राचार्य/संचालक

संस्था श्रीरावतपुरा सरकार इन्स्टीट्यूट

ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, खसरा नं.-57/1 वी, ग्राम रजोला,

तह. मझगवां चित्रकूट जिला-सतना (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।


संदर्भ:- मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-742/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 16.04.2014

---//---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के अनुक्रम में आपकी संस्थान द्वारा आज दिनांक तक जवाब मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध है। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, रीवा द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 07.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।




सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 / 05 / 2014

पृष्ठांकन क्र./958/ डी एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यामिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 306 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
आस्था महाविद्यालय,
माँ वैष्णव देवी मंदिर के पास,
डाली बाबा, सतना,
जिला-सतना (म.प्र.)-435001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।

संदर्भ:- 1)आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014 एवं फैक्स के माध्यम से प्राप्त आपका पत्र क्र.-रहित, दिनांक 25.04.2014
2)विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-852/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 16.04.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के बिन्दु क्र.-01 के जवाब में आपके द्वारा फैक्स के माध्यम से प्रेषित उत्तर दिनांक 25.04.2014 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शाराकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित सूची प्रस्तुत करने हेतु समुचित समय प्रदान किया जावे। आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 25.04.2014 निम्न कारणों से मान्य योग्य नहीं है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निवाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जिले के प्राचार्य शाराकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा

निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, रीवा द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 05.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर आपके संस्थान द्वारा मण्डल में प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन अमान्य करते हुये मण्डल द्वारा आपकी संस्था की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र./ 967 / डी.एड.संल./2014
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर, विषयांकित संस्था द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 25.04.2014 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि प्राचार्य, शासकीय शिक्षा स्नात्कोत्तर महाविद्यालय रीवा को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.01.2012 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 904 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
कमला मेमोरियल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
प्लॉट नं.-361/5के गली नं.-15,
ग्राम पडरा, पो. सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)-486661

- विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।
संदर्भ:- 1) आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014 एवं आपका पत्र क्र.
-112/2014, दिनांक 07.04.2014
2) विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-628/डी.एड.सेल/2014 दिनांक
27.03.2014

----- / / -----
विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक
27.03.2014 के बिन्दु क्र.-03 के जवाब में आपके द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 07.04.2014 प्रस्तुत
कर लेख किया गया है कि समयवाधि के भीतर सूची प्रस्तुत कर दी जावेगी। आपके संस्थान द्वारा
प्रस्तुत जवाब दिनांक 07.04.2014 निम्न कारणों से मान्य योग्य नहीं है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख
है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची
क्षेत्रीय रांगिते को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है
कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा
महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं
स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि
किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का
प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे
जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक
12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा

निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, रीवा द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 03.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर आपके संस्थान द्वारा मण्डल में प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन अमान्य माना जावेगा।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/04/2014

पृष्ठांकन क्र./ 205 / डी.एड.सेल/2014

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी स्मरण पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : कार्यालय - (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / १३४ / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
संस्था नेशनल कॉलेज ऑफ टीचर्स एज्युकेशन,
पो. महादेवा, शेरगंज,
रघुराज नगर, सतना
जिला-सतना (म.प्र.)-485001


विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।

संदर्भ:- 1) आपका पत्र क्र.-एन.सी.टी.ई.डी./डी.एड./2014, दिनांक 24.04.2014
2) विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-874/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 16.04.2014

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के बिन्दु क्र.-01 के जवाब में आपके द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 24.04.2014 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि सतना में शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय शासन द्वारा संचालित नहीं है। आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 24.04.2014 निम्न कारणों से मान्य योग्य नहीं है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज व स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, रीवा द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 05.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र./939 / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर, विषयांकित संस्था द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 24.04.2014 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि प्राचार्य, शासकीय शिक्षा स्नात्कोत्तर महाविद्यालय रीवा को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.01.2012 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या- (0755) 2551850, 2761567 फ़ैक्स -- (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / १५५ / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
विश्व्याचल महाविद्यालय,
ग्राम जिगना, पो, अमरट, रातना
जिला-सतना (म.प्र.)-485881

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।


संदर्भ:- विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-760 / डी.एड.सेल / 2014 दिनांक 16.04.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के अनुक्रम में आपके संस्थान द्वारा जवाब आज दिनांक तक मण्डल कार्यालय में अप्राप्त है। जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के विन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, रीवा द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 06.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र./१५५ / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।
3. चीफ सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर कक्ष, मा.शि.मण्डल, मुख्यालय भोपाल की ओर उक्त पत्र मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / ९३६ / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३० / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
श्रीरावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
श्रृंगारवन, पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस के पास
सतना रोड़ चित्रकूट, सतना
जिला-सतना (म.प्र.)-485331


- विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक ऑनम सूचना पत्र।
संदर्भ:- विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-846 / डी.एड.सेल / 2014 दिनांक 16.04.2014

--- / ---

विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के अनुक्रम में आपके संस्थान द्वारा जवाब आज दिनांक तक मण्डल कार्यालय में अप्राप्त है। जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जिले के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबंधिता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, रीवा द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 06.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।




सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र./ 437 / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।
3. चीफ सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर कक्ष, मा.शि.मण्डल, मुख्यालय भोपाल की ओर उक्त पत्र मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 756 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
टी.डी. डी.एड. कॉलेज, 11/415,
इन्द्रा नगर, युनिवर्सिटी रोड, रीवा
जिला-रीवा (म.प्र.)-486001

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की प्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल
भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 757 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : कार्यालय - (0755) 2551650, 2781567

फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 830 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
श्रीयुत महाविद्यालय, ग्राम पो. गंगेव,
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की प्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महा वेद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 831 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 794 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
रेवांचल एज्युकेशन कॉलेज,
रेवांचल पब्लिक स्कूल के पास,
तिलक नगर, रीवा
जिला-रीवा (म.प्र.)-486001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

— // —

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की प्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चय दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 795 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्य- (0756) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0756) 2551499, 2552061

क्रमांक / 812 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
रेवांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन एण्ड टेक्नालॉजी,
खसरा नं.-76/6, ग्राम पंचायत लाल गांव,
ब्लॉक गंगेव, तह. सिरमुर,
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 03.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की प्रति संलग्न की गई है, जो ठीक मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महा विद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 813 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 760 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
विन्ध्याचल महाविद्यालय,
ग्राम जिगना, पो. अर्गट, सतना
जिला-सतना (म.प्र.)-485881

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य, शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित स्टाफ सूची दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 761 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 742 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
श्रीरावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
श्रृंगारवन, पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस टो पास
सतना रोड चित्रकूट, सतना
जिला-सतना (म.प्र.)-485331

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है। संस्था प्राचार्य द्वारा लेख किया गया है कि सतना में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय नहीं होने से उक्त सूची का प्रमाणीकरण नहीं कराया जा सका है। जबकि संस्थान को प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, रीवा से सूची प्रमाणीकरण करवाकर प्रस्तुत की जानी थी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय रीवा द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 742 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 826 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक

श्री गणेश एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन,
अमाहा, मदवास रोड, सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)-486661

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सीधी द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य, शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित स्टाफ सूची दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 827 / डी.एड.सेल / 2014

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ~~रंथाम~~ की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



क्रमांक / 846 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
श्रीरावतपुरा सरकार इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
खसरा नं.-57 / 1 बी, ग्राम रजोला,
तह. मझगवां चित्रकूट
जिला-सतना (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 25.02.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 847 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय - (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 854 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
ए.व्ही.पी. डी.एड. कॉलेज,
प्लॉट नं.-2/2, ग्राम गाहिलगढ़, पो. विन्ध्यानगर,
तह. सिंगरौली,
जिला-सीधी (म.प्र.)-486885

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था द्वारा संस्था भवन एवं संस्था भवन के समक्ष खड़े हुये शिक्षकों के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं जिसमें शिक्षकों का नाम एवं पद अंकित नहीं है। संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र के बिन्दु क्र.-11 में उल्लेख अनुसार छायाचित्र दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 854 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 852 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
आस्था महाविद्यालय,
मॉ वैष्णव देवी मंदिर के पास
डाली बाबा, सतना
जिला-सतना (म.प्र.)-485001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित व मी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014।

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संस्थान में नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित स्टाफ सूची की प्रति दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 853 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 874 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
नेशनल कॉलेज ऑफ टीचर्स एंज्यूकेशन,
पो. महादेवा, शेरगंज, रघुराज नगर, सतना
जिला-सतना (म.प्र.)-485001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई उक्त के स्थान पर संस्था द्वारा परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, सतना द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य, शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित स्टाफ सूची दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 875 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.
भोपाल